Action by the Government of India to restore the law and protect the street vendors of Manglapuri

[New Delhi, 25-07-2024] The National Association of Street Vendors of India received a letter from the government of India, directing the Additional Chief Secretary (UD), Department of Urban Development, Government of NCT, Delhi to take appropriate action to protect the street vendors of Manglapuri with the provision of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of street vending) Act 2014.

We appreciate this action by the government of India to take up the eviction matter of Manglapuri immediately hour and direct the concerned authority. It is kindly noted that on 19th June 2024, 180 street vendors of Manglapuri were evicted from the market without any prior notice despite them holding the certificate of vending, their goods were seized, no memo was issued, carts were demolished by JC and vendors were threatened.

NASVI wrote letters to the government of India and held meetings with DC & Vendors and the result has been fruitful. Mr. Arbind Singh, National Coordinator, welcomed the directions given by the Government of India. He appealed to the Delhi Government and the MCD, both run by the Aam Aadmi Party, to follow the SV Act and reminded them that they had guaranteed Street Vendors in their election manifesto.

Cases like manglapuri have been a daily occurrence for street vendors of Delhi, rather than being the driving force to support the livelihood of vendors MCD is taking the low road and taking every step to derail their daily life and livelihood. The survey has been also delayed and it is essential that with such directions and steps, only MCD will stop these inhume actions against street vendors.

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार द्वारा मंगला पूरी के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की सुरक्षा और कानून की बहाली के लिए कार्रवाई

[नई दिल्ली, 25-07-2024] नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडोस ऑफ़ इंडिया (NASVI) को भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडी) को मंगलापुरी के पथ विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 के प्रावधान के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

हम भारत सरकार द्वारा मंगलापुरी के निष्कासन मामले को तुरंत उठाने और संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित करने की इस कार्रवाई की सराहना करते हैं। कृपया ध्यान दें कि 19 जून 2024 को, मंगलापुरी के 180 पथ विक्रेताओं को बाजार से बिना किसी पूर्व सूचना के निष्कासित कर दिया गया था, जबकि उनके पास वेंडिंग प्रमाण पत्र था, उनके सामान जब्त कर लिए गए थे, कोई मेमो जारी नहीं किया गया था, गाड़ियां जेसीबी द्वारा तोड़ दी गई थीं और विक्रेताओं को धमकाया गया था।

NASVI ने भारत सरकार को पत्र लिखे और डीसी और विक्रेताओं के साथ बैठकें कीं और इसका परिणाम फलदायी रहा। NASVI के राष्ट्रीय समन्वयक श्री अरबिंद सिंह ने भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का स्वागत किया। उन्होंने दिल्ली सरकार और एमसीडी, दोनों जो आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जाती हैं, से एसवी अधिनियम का पालन करने की अपील की और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पथ विक्रेताओं की गारंटी दी थी।

दिल्ली के पथ विक्रेताओं के लिए मंगलापुरी जैसे मामले रोजमर्रा की घटनाएं बन गई हैं, विक्रेताओं की आजीविका का समर्थन करने के बजाय एमसीडी निम्न मार्ग अपना रही है और उनके दैनिक जीवन और आजीविका को पटरी से उतारने के लिए हर कदम उठा रही है। सर्वेक्षण भी देरी से हो रहा है और यह आवश्यक है कि ऐसे निर्देशों और कदमों के साथ, केवल एमसीडी इन अमानवीय कार्यों को रोक देगी।

Contact Person- Sakshi Aggarwal, 7836877393